न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 35/2022
प्रकरण दर्ज तिथि :— 05.05.2022
जीसीएमएस नम्बर :— 2022/136

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. अब्दुल रहमान पुत्र बाबु खां कौम धोबी मुसलमान 2. न्याज मौहम्मद पुत्र बाबु खां कौम धोबी मुसलमान 3. अब्दुल गफार पुत्र बाबु खां कौम धोबी मुसलमान 4. अ.हकीम पुत्र बाबुखां कौम धोबी मुसलमान		1. तहसीलदार रायपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 21 नियम 11 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित 1. श्री भूपैन्द्र सैन एवं विरेन्द्र सैन अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. सरकारी पैराकार

निर्णय **दिनांकः 07.11.2023**

प्रार्थीगण ओर से वकील श्री भूपैन्द्र सैन एवं विरेन्द्र सैन द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 151 . के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि क, वाद संख्या 04/99(92/99)

ख पक्षकारो का नाम :— उपरोक्त अनुसार

ग डिक्री की तारीख— प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.12.03

अन्तिम डिक्री दिनांक 28.07.2004

घ क्या डिक्री के विरूद्ध कोई अपील की गयी हैः— कोई अपील नहीं की गयी हैं। डिक्री राजीनामा के जरिये की गयी हैं।

ङः— यदि कोई संकाय या समायोजन किया गया है तो वह संदाय या समायोजन :— नहीं

च — यदि पहले कोई आवेदन किया गया हैं तो उसकी तारीख और परिणामः— नहीं

छ— एतद्द्वारा अनदत अन्य अनुतोष प्रति डिक्री की विशिष्टियों के सहित :— नहीं

ज— अधिनिर्णीत खर्चो की यदि कोई हों रकमः— नहीं

झ—किसके विरूद्ध निष्पादन किया जाए — उपरोक्त प्रार्थी जो मूल वाद में प्रतिवादी हैं। क्योंकि उक्त प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी की जा चुकी हैं। और मदयून /अप्रार्थी जो लैण्ड होल्डर है। उनके द्वारा ही उक्त अन्तिम डिक्री की पालना में राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम किया जा सकता है। और जमाबन्दीया व लगान अलग अलग किया जा सकता हैं इसलिये निष्पादन अप्रार्थी तहसीलदार रायपुर के द्वारा ही किया जाना हैं।

अ— वह ढंग जिससे न्यायालय की सहायत अपेक्षित हैं

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

यह हैं कि उपरोक्त अनवान में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.12.03 को बंटवाडा व घोषणा की प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी और उक्त प्रारम्भिक डिक्री पालना में मौका रिपोर्ट बना कर व हिस्सा इतयादि तय कर मौके की बंट अनुसार रिपोर्ट तैयार की गयी और उसके बाद दिनांक 28.07.04 को अन्तिम निर्णय व डिक्री जारी की गयी उसकी पालना में बंटवाडा को राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम करने बाबत एवं जमाबन्दीया व लगान अलग अलग अमल दरामद किया जावें। और अन्तिम निर्णय व डिक्री की पालना की जावें। चूकि खातेदारी घोषणा की पालना की जा चुकी हैं। मात्र बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा में अलग अलग तरमीम करने व जमाबन्दीया व लगान अलग अलग तय किया जाना शेष रहा हैं। इसलिये उक्त पालना हेतु इजराजय प्रस्तुत हैं।

–अन्य अनुतोष जो न्यायालय डिक्रीदार को दिला सकें।

–निर्णय डिक्री दिनांक 28.07.04 की पालना में बंटवाडा अनुसार राजस्व रेकर्ड नक्शा में अलग अलग तरमीम करने एवं जमाबन्दीया व लगान अलग अलग तय किया जाना शेष रहा हैं इसलिये उक्त पालना हेतु इजराय प्रस्तुत हैं। अगर अप्रार्थी मदयून द्वारा डिक्री व निर्णय की पालना नही की जाती हैं तो नियमानुसार प्रशासनिक आदेश प्रदान किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी तहसीलदार रायपुर को ही उक्त पूर्व आदेश की पालना की जानी हैं। अधिवक्ता द्वारा उक्त ईजराय में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पक्षकार बनने हेतु पेश किया हैं जो संलग्न किया गया हैं। प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी गई है। जिसमे प्रार्थना पत्र में संबंधित इजराय में पक्षकार बनने हेतु निवेदन किया । प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी जबाववदावा प्रस्तुत किया है। जिसमें बताया कि प्रार्थीद्वारा प्रस्तुत इजराय में वाद संख्या04/99 (92/99) में पक्षकारों के मध्य जरिये राजीनामा होकर प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.12.2003 व अन्तिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 को फैसला होकर आदेश कि पालनार्थ श्रीमान् तहसीलदार रायपुर को भेजी गई जिसकी पालना आज तक नही हुई। उक्त प्राथमिक डिक्री व अन्तिम डिक्री पक्षकारों के मध्य जरिये राजीनामा होने से उक्त आदेश कोई पक्षकार ने विरोध आज तक नहीं किया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी में किस पक्षकार को प्रार्थना पत्र में जोडा जाय व किस पक्षकार द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व किस पक्षकार ने अपनी तरफ से पैरवी करने हेतु अधिवक्ता को मुकर्रर किया उक्त प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता का वकालतनामा उपलब्ध नहीं हैं। मात्र प्रार्थीगण को तंग परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं जो खारिज योग्य हैं। प्रार्थी ने मात्र उक्त आदेश दिनांक 28.07.2004 कि पालनार्थ यह इजराय प्रस्तुत की है तथा कोई भी पक्षकार को अगर उक्त आदेश में आपत्ति की थी तो अपील कर आदेश निरस्त करवाता हैं । अतः प्रार्थना पत्र 01 नियम 10 सीपीसी का खारिज करते हुए इजराय स्वीकार कर आदेश दिनांक 28.07.2004 की पालना कर नामांतरण खोलने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पर बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समायत की गई । प्रार्थनापत्र, बहस एवं जबाववदावा के अवलोकन से पत्रावली में अधिवक्ता किसकी तरफ से

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (डूंगर)

पैरवी कर रहे है और पेश प्रार्थना पत्र में भी किसी भी पक्षकार का नाम भी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का खारिज किया जाता हैं।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि सरहद मौजा बर के खसरा नम्बर 228, 229, 230 एवं 423 तथा सरहद मौजा बिराटिया कलां के खसरा नम्बर 921, 930, 931 के संबंध में न्यायालय से राजस्व अपील संख्या 03/2011 अनवान चान्द बीवी उर्फ चन्दा बनाम खाजू वगैरह निर्णय दिनांक 19.03.2013 को तथा राजस्व वाद संख्या 226/2008(पुराना 105/2000) अनवान अब्दुल रहमान वगैरह बनाम खाजू खां वगैरह निर्णय दिनांक 26.09.2008 को आदेश जारी किया गया था। उक्त निर्णय आदेश भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा द्वारा हुए हैं।

बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बहस एवं पत्रावली अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वाद संख्या 04/99 (92/99) प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.12.03 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 की पालना करवाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय आदेश के वाद संख्या 04/99 (92/99) अनवान पीरू खां बनाम खाजू खां वगैरह में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 22.12.2003 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 28.07.2004 की पालना, सात दिवस मे करने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व में जारी अन्तिम डिक्री में नजरी नक्शा व बंटवाडा प्रस्ताव , इस पालना में आवश्यक भाग रहेगा। उक्त बंटवाडा प्रस्ताव व निर्णय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। तहसीलदार रायपुर को तहरीर, सात दिवस में पालना करने हेतु जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 07.11.2023 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)